न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 153/13/ दुरूस्ती

चन्द्रसिंह पुत्रश्री कायम सिंह जाति राजपूत उम्र 77 वर्ष निवासी पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति— 1. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह धायल वकील वादी की ओर से

निर्णय दिनांक— 14.03.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की पैतृक कब्जेशुदा कृषि भूमिया खसरा नं. 2726, 2727, 2728/2990, 2729/2989, 2731, 2732, 2732/3027 ति॰ 7 कुल रकबा 6.32 है0 वाके ग्राम पचार तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। वाद की मद सं. 1 में वर्णित संपदा के लिए वादी व उसके परिवार के मध्य सहायक कलेक्टर, सीकर के यहां एक वाद दायर किया जिसका निर्णय दिनांक 05.08.1992 को हुआ। उक्त निर्णय के अनुसार वादी को 6.32 है. भूमि प्राप्त हुई थी जिसका ना.करण सं. 1550 दिनांक 03.04.1993 को खोलगा गया जिसमें संपूर्ण 6.32 है0 भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी। वाद के मद सं. 1 में वर्णित संपदा में सन् 1993 से जरिये विक्रय पत्र 3 बीघा 9 बिस्वा खेमाराम, भगवान सहाय, सागर मल को बेचान कर दी थी। उसके बाद वादी के हिस्से में 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि शेष रही परन्तु आधार वर्ष के बाद तब प्रार्थी की शेष रही भूमि 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि की जगह राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों द्वारा सहवन से 16 बीघा 3 बिस्वा भूमि ही जमाबंदी में दर्ज कर दी जो बदस्तूर जारी है। वादी को उक्त गलती की जानकारी किसान कार्ड बनवाने के लिए दिनांक 10.12.2012 को जमाबंदी की नकल ली, तब हुई। इस पर वादी ने पटवारी से पूछा कि मेरे नाम तो 16 बीघा भूमि ही अंकित है जबकि 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि अंकित होनी चाहिए तो पटवारी ने कहा कि मेरे पास तो जो रिकार्ड था उसके अनुसार जमाबंदी की नकल दे दी इसके अलावा जानकारी चाहिए तो तहसीलदार से संपर्क करें। इस पर वादी ने तहसील कार्यालय जाकर पुरानी जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो पता चला। इसके पश्चात् वादी ने तहसीलदार से संपर्क किया तो कहा कि आप रूक जावो, मैं इसको यहीं दुरूस्त करवा दूंगा, परन्तु दिनांक 08.07.2013 को वादी तहसीलदार जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप उपखण्ड अधिकारी महोदय के पास दुरूस्ती का वाद पेश करो, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष यह दुरूस्ती का वाद पेश किया जाना लाजिम आया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद की मद सं. 1 में वर्णित भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

हुए गलत इन्द्राज 16 बीघा 3 बिस्वा को 21 बीघा 3 बिस्वा वादी के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार संशोधन किया जावें।

2. वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार, दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ ने पत्रांक भूअ/15/3609 दिनांक 27.01.2015 द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जो शामिल मिसल की गई।

3. हमने वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया व तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दुरूस्ती की जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। सहायल कलेक्टर, सीकर के बंटवारा आदेश के अनुसार ना.करण सं. 1550 दिनांक 03.04.93 के द्वारा वादी चन्द्रसिंह पुत्र कायमसिंह के ख.नं. 1006/6/1 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा व 1008/1/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 25 बीघा दर्ज की गई एवं ना.करण सं. 1637 दिनांक 18.05.94 के द्वारा चन्द्रसिंह के बजाय ख.नं. 1006/6/1 में चन्द्रसिंह पुत्र कायमसिंह 16 बीघा, खेमाराम, भगवान सहाय, सागरमल पि. बींजाराम कमावत 3 बीघा 14 बिस्वा स्वीकार होने पर जमाबंदी संवत 2043–46 में नोट लगाया गया। सैटिलमेंट के आधार वर्ष दिनांक 01.4.1994 से 31.03.1994 के दौरान नवीन ख.नं. 2726, 2727, 2731, 2732, 2729/2989, 2728/2990, 2732/3027 किता 7 कुल रकबा 6.32 है0 में चन्द्रसिंह पुत्र कायम सिंह राजपूत सा.देह हि. 16 बीघा खेमाराम भगवान सहाय सागरमल पुत्रगण बींजाराम जाति कुमावत हि.ब. 3 बीघा 9 बिस्वा सा.देह खातेदार दर्ज है जो वर्तमान जमाबंदी में बदस्तूर जारी है। तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पचार के वर्तमान ख.नं. 2726, 2727, 2728/2990, 2729/2989, 2731, 2732, 2732/3027 किता 7 कुल रकबा 6.32 है0 की खातेदारी चन्द्रसिंह पुत्र कायमसिंह जाति राजपूत सा.दे हि. रकबा 16 बीघा राहिन एसबीबीजे शाखा खाटूश्यामजी मूर्तहीन, राहिन खेमाराम, भगवानसहाय पि0 बींजाराम हि.ब.हि. 2/3, बनवारीलाल, श्यामलाल पि. सागरमल, छोटीदेवी पत्नी सागरमल हि.ब.हि. 1/3 जाति कुमावत दर हिस्सा 3 बीघा 9 बिस्वा सा.देह शे.ग्रा.बैंक. शाखा पचार मूर्तहीन दर्ज है, इस प्रकार से कुल रकबा 6.32 है0 की कुल भूमि 25 बीघा बनती है तथा खाते में 16 बीघा भूमि चन्द्रसिंह के नाम से व व 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि खेमाराम वगैरह के नाम दर्ज है, इस प्रकार 16+ 3 बीघा 9 बिस्वा यानि 19 बीघा 9 बिस्वा का ही खाता दर्ज किया गया है खाता पूरा नहीं बनता है खाते में 5 बीघा 11 बिस्वा का हिस्सा कम दर्ज किया गया है जो त्रुटि पूर्ण है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ना.सं. 1550 दिनांक 3.4.1993 को दर्ज किया गया है जिसमें चन्द्रसिंह पुत्र कायमसिह के नाम गत ख.नं. 1006/6/1 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा व ख.नं. 1008/1/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 25 बीघा दर्ज किया गया

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

है जिसका नोट जमाबंदी संवत् 2043–2046 के खाता सं. 215 पर दर्ज है। इस प्रकार से प्रार्थी चन्द्रसिंह के नाम से इस जमाबंदी में नोट के अनुसार कुलरकबा 25 बीघा की खातेदारी दर्ज होनी थी फिर ना.सं. 1637 दिनांक 19.05.1994 के द्वारा चन्द्रसिंह ने ख.नं. 1006/6/1 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा में से 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि का बेचान कर देने पर ख.नं. 1006/6/1 में चन्द्रसिंह पुत्र कायमसिंह हिस्सा 16 बीघा तथा खेमाराम, भगवान सहाय, सागरमल पि. बींजाराम जाति कुमावत हि. रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा दर्ज हुआ तथा वादी का ख.नं. 1008/1/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा बदस्तूर रहा। गत ख.नं. 1006/1/1 कुल रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा के नये ख.नं. 2726, 2727, 2731, 2732, 2728/2990, 2732/3027 किता 6 कुल रकबा 4.93 है तथा गत ख.नं. 1008/1/1 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा का नया ख.नं. 2729/2989 रकबा 1.39 है0 बना है इस प्रकार से कुल खाता 4.93+1.39 यानि 6.32 है0 का बना है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल बनाते समय सहवन से गत ख.नं. 1008/1/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा (हाल ख.नं. 2729/2989 रकबा 1.39 है.) का खाता अलग से बनाने की बजाय दो खातों का एक ही खाता ख.नं. 2726, 2727, 2728/2990, 2729/2989, 2731, 2732, 2732/3027 किता 7 कुल रकबा 6.32 है0 में ही शामिल कर दिया गया तथा हिस्सा भी पूर्ण दर्ज नहं किया जबकि गत ख.नं. 1008/1/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल ख.नं. 2729/2989 रकबा 1.39 है. का विक्रय भी नहीं हुआ है। ना.सं. 1637 के मुताबिक सही खाता इस प्रकार बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	दर	लगान
1.	चन्द्रसिंह पुत्र श्री कायमसिंह जाति राजपूत सा.देह राहिन एसबीबीजे शाखा खाटूश्यामजी मूर्तहीन	2729/2989	1.39 है.	बा.4	2.00	2.78
2.	चन्द्रसिंह पुत्र कायमसिंह जाति राजपूत सा.देह हि. 16 बीघा 1 बिस्वा राहिन एसबीबीजे शाखा खाटूश्यामजी मूर्तहीन राहिन खेमाराम भगवान सहाय पि. बींजाराम हि.ब.हि. 2/3, बनवारीलाल, शमलाल पि. सागरमल, छोटीदेवी पत्नी सागरमल हि.ब.हि. 1/3 जाति कुमावत दर हि. रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा सा.देह शे. ग्रा. बैंक शाखा पचार मूर्तहीन	2726 2727 2728/2990 2731 2732 2732/3027	0.01 0.68 3.68 0.11 0.37 0.08	गै.मु.चाह बा.4 बा.4 बा.4 बा.4 बा.4	– 2 2 2 2 2	– 1.36 7.36 0.22 0.74 0.16
		किता 6	4.93 है0			9.84

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

अतः तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट पत्रांक भूअ./15/3609 दिनांक 27.01.2015 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 14.03.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner